संख्या– /XV-3/2017-06(04)/2004

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य, उत्तराखण्ड/सचिव
उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–03 (मत्स्य) देहरादूनः दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

विषय– **जनपद ऊधमसिंहनगर स्थित नानक सागर, तुमड़िया, बैगुल, धौरा, बौर एवं हरिपुरा तथा जनपद टिहरी स्थित टिहरी जलाशय की प्रबन्ध व्यवस्था एवं मत्स्य आखेट नीलामी हेतु आवश्यक शर्तों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2007/जलाशय/2017–18, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नियंत्रणाधीन जलाशयों यथा **नानक सागर, तुमड़िया, बैगुल, धौरा, बौर एवं हरिपुरा तथा जनपद टिहरी स्थित टिहरी जलाशय** की प्रबन्ध व्यवस्था के निर्धारण/नीलामी के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–530/XV-2/6(20)/2004, दिनांक 09.08.2012, संशोधित शासनादेश संख्या–286/XV-3/2017-06(04)/2004, दिनांक 17.07.2017, शासनादेश संख्या–344/XV-3/2017-06(04)/2004, दिनांक 03.08.2017 तथा टिहरी जलाशय की प्रबन्ध व्यवस्था एवं मत्स्य आखेट (शिकारमाही) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–103/XV-3/2015-10(01)/2013, दिनांक 17.10.2015 के द्वारा निर्धारित की गयी समस्त अनुबन्ध की शर्तों को समस्त जलाशयों की प्रबन्धन व्यवस्था को एकरूपता के आधार पर सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1) जलाशय की नीलामी, जहाँ है जैसा है के आधार पर निविदा द्वारा किया जायेगा।
2) निविदाओं में प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं को सम्बन्धित जलाशय में मत्स्य शिकारमाही ठेके की शर्तों के अनुरूप समस्त सुसंगत अभिलेख संलग्न किये जाने अनिवार्य होगें। ये अभिलेख Technical Bid लिफाफे के अन्दर प्रस्तुत किये जाने होगें, जो Technical Bid कहलायेगी। Technical Bid में किसी भी दशा में निविदा की धनराशि का कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा और यदि इस तरह का कोई भी उल्लेख किया जाता है, अथवा निविदा की शर्तों के अनुरूप कोई भी सुसंगत अभिलेख/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो ऐसी दशा में सम्बन्धित निविदादाता की निविदा मान्य नहीं होगी तथा ऐसी निविदाओं पर कोई विचार न करते हुये प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर दी जायेंगी। ठेके के प्रथम वर्ष (2017–18) हेतु निविदा की धनराशि निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर प्रस्तुत की जायेगी, जो Financial Bid कहलायेगी।

क्रमशः–.....2

3) जलाशय हेतु निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदादाताओं द्वारा निविदा की शर्तों के अनुरूप निम्नलिखित प्रपत्र Technical Bid के साथ संलग्न किये जाने आवश्यक होंगेः–

(i) निविदा में प्रतिभाग करने तथा निविदा की समस्त शर्तों को माने जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र।

(ii) धरोहर/बयाने की धनराशि (राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्रॉफ्ट)।

(iii) विगत तीन वित्तीय वर्षो के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम ₹ 5.00 करोड़ का टर्नओवर के प्रमाणक जिस हेतु ऑडिटेड बैलेंस शीट व लाभ हानि खाता एवं चार्टर्ड अकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र।

(iv) सम्बन्धित निविदादाता जलाशय में मत्स्य शिकारमाही के कार्य को करने एवं बैंक गारंटी जमा करने के लिये वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिये। इसके लिये सभी निविदाकारों को ऑडिटेड बैलेंसशीट के अनुसार नेट वर्थ प्रमाण पत्र चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा निर्गत व प्रमाणित और वर्तमान का हैसियत प्रमाण पत्र (SOLVENCY CERTIFICATE) जो कि बैंक द्वारा निर्गत व प्रमाणित होना चाहिए, दोनों न्यूनतम आरक्षित मूल्य के दोगुने होने चाहिये।

(v) निविदादाता के फर्म/संस्था या कंपनी की दशा में बोर्ड रिसोल्युशन अथवा अधिकृत पत्र देना होगा और केवल निदेशक/सचिव/भागीदार/स्वामी को ही निविदा के लिये अधिकृत किया जा सकता है, अतः केवल इन्हीं अधिकृत व्यक्ति का जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। शेष निविदादाताओं को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) फर्म/संस्था/कम्पनी की दशा में सम्बन्धित बायलॉज, पार्टनरशिप डीड अथवा MOA/AOA की प्रति, निदेशकों की सूची/शेयरहोल्डर की सूची/सदस्यों की सूची/भागीदारों की सूची/स्वामियों की सूची भी निविदा में प्रस्तुत की जानी होगी।

(vii) ₹ 100/– का स्टाम्प पेपर (अनुबंधित),

(viii) **पी०एफ० और ई०एस०आई० का पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा पी०एफ० और ई०एस०आई० का विगत तीन माहों का रिटर्न।**

(ix) निविदादाता किसी सरकारी संस्था अथवा विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट न होने का प्रमाण पत्र ₹ 100.00 के स्टैम्प पेपर पर शपथपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(x) निविदा प्रपत्र के मूल्य की धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट अथवा निविदा प्रपत्र क्रय रसीद की प्रति।

(xi) अदेयता प्रमाण पत्र निविदाकार को ऑडिटेड फाइनेंसियल स्टेटमेंट के आधार पर किसी भी प्रकार की अविवादित सरकारी देनदारी और किसी भी प्रकार की शासन द्वारा वसूली की **डिक्री** न होने का अदेयता प्रमाण पत्र चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा निर्गत प्रस्तुत करना पड़ेगा।

(xii) निविदाकार का अपने कानूनी रूप से पंजीकृत न होने की दशा में उनकी निविदा पर कोई विचार विमर्श किये बिना ही निविदा निरस्त कर दी जायेगी। इसके लिये पंजीकरण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः–.....3

उक्त समस्त अभिलेख Technical Bid लिफाफे के अन्दर प्रस्तुत किये जाने होगें जो Technical Bid कहलायेगी। उक्त में से कोई भी अभिलेख/प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता की निविदा मान्य नहीं होगी तथा ऐसी निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। ठेके के प्रथम वर्ष (2017–18) हेतु निविदा की धनराशि निविदा की शर्तों के साथ संलग्न **प्रपत्र–'क'** में अंकित कर बन्द लिफाफे के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी, जो Financial Bid कहलायेगी। Financial Bid में निविदा की धनराशि का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित निविदादाता का पहचान पत्र की प्रमाणित प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रपत्र/अभिलेख संलग्न नहीं किये जायेंगे। यदि Financial Bid में उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई उल्लेख अथवा कोई अभिलेख संलग्न किया जाता है तो सम्बन्धित निविदादाता की Financial Bid मान्य नहीं होगी। यदि Technical Bid में Financial Bid या रेट उल्लिखित किया जाता है तो उस निविदा को अस्वीकार कर दिया जायेगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4) निविदाकर्ता उक्त जलाशय के क्षेत्र में व उक्त व्यवसाय में कार्य करने के लिये अधिकृत होना चाहिये।

5) इस निविदा के अन्तर्गत ठेके को ठेकेदार द्वारा किसी अन्य को उपपट्टे (sub-let) पर नहीं दिया जा सकता है।

6) निविदाकर्ता की किसी भी प्रकार की सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी, अतः उस निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

7) इस निविदा में उल्लिखित समस्त शर्तों की व्याख्या (Interpretation) के विषय में कोई विवाद होने की स्थिति में निविदा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सभी निविदाकर्ताओं पर बंधनकारी होगा। निविदा के सम्बन्ध में भी निविदा समिति का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी माना जायेगा।

8) कोई भी बेनामी निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी और किसी भी निविदाकार द्वारा एक जलाशय के लिये एक से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गयी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

9) सभी निविदाकार द्वारा दी गयी निविदाओं में अभिलेख व्यवस्थित रूप से, सूची, क्रमांक और पेज संख्या सहित होने चाहिए। निविदा में सम्मिलित सभी अभिलेख व अन्य पृष्ठ पर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर व मोहर होना अनिवार्य है, ऐसा न होने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार विमर्श किये बिना ही निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।

10) **निविदादाताओं द्वारा स्पीड–पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निविदायें ही मान्य होगी अथवा निविदादाता स्वयं निविदायें निविदा पेटी में अपनी निविदायें डाल सकते हैं। साधारण डाक अथवा कोरियर से भेजी गयी निविदायें मान्य नहीं होगी तथा डाक विभाग द्वारा निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त करायी निविदाओं हेतु अभिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लिफाफे के शीर्ष पर "जलाशय – निविदा वर्ष" अंकित किया जाना आवश्यक है।**

क्रमशः–.....4

11) उच्चत्तम निविदादाता की निविदा को निविदा समिति द्वारा स्वीकार किया जायेगा। जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे निविदा धनराशि निविदा वर्ष की प्रथम तिमाही के लिये निर्धारित 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल मौके पर जमा की जानी होगी। बयाने की धनराशि को एक चौथाई धनराशि में समायोजित किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा मौके पर 25 प्रतिशत धनराशि जमा न कर पाने की दशा में बयाने की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

12) जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी उनकी बयाने की धनराशि को 30 दिवसों के अन्दर एकाउन्टपेयी चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से वापस किया जायेगा। इस अवधि हेतु निविदादाता को किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

13) **ठेके की अवधि पाँच वर्षों हेतु होगी। प्रथम वर्ष की अवधि स्वीकृत की दिनांक से एवं अन्य वर्षों में 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 30 जून तक मानी जायेगी। प्रत्येक वर्ष की निविदा के मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि ठेकेदार द्वारा देय होगी।**

14) निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में दी जायेगी, जिसमें निम्नांकित सूचनाओं का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

(i) निविदादाता का नाम व पता (नोटरी द्वारा प्रमाणित)

(ii) आधार कार्ड/राशनकार्ड/चुनाव आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/आयकर खाता संख्या प्रमाण पत्र/व्यापार का खाता संख्या प्रमाण पत्र/टेलीफोन बिल/नगर निगम द्वारा जारी कोई मूल्यांकन आदेश अथवा रसीद में से किसी एक की प्रमाणित छायाप्रति।

(iii) निविदादाता समिति अथवा फर्म होने की स्थिति में निविदा हेतु प्रतिभाग करने वाले सदस्य हेतु अधिकृत पत्र एवं सम्बन्धित अधिकृत सदस्य के क्रमांक 14(ii) के अनुरूप कोई भी पहचान पत्र का अभिलेख उपलब्ध करायेगी।

15) उच्चत्तम बोली स्वीकृत होने के उपरान्त प्रथम वर्ष के ठेके की एक चौथाई धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। द्वितीय वर्ष व ठेके के तृतीय वर्ष में तथा चतुर्थ वर्ष एवं पचंम वर्ष में भी ठेके की धनराशि की एक चौथाई धनराशि प्रत्येक वर्ष 30 जून तक जमा करनी होगी। शेष 75 प्रतिशत की धनराशि प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च तक निर्धारित समय सारणी के अनुसार समान किश्तों में जमा करनी होगी।

16) उच्चतम बोली/निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त ठेकेदार/समिति को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर अनुबंध पत्र पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

17) ठेकेदार द्वारा नियमानुसार स्टाम्प पंजीकरण अधिनियम के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी संदत की जायेगी तथा तद्नुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र निविदाकर्ता व सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के द्वारा निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध की मूल प्रति अभिकरण की अभिरक्षा में रखी जायेगी। अनुबन्ध पत्र में किश्त जमा करने के पूर्ण विवरण की प्रविष्टि समय सारिणी सहित सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः—.....5

18) अनुबंध के समय सफल निविदादाता को पॉच वर्षों की कुल निविदा धनराशि का 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के पक्ष में एन०एस०सी० या एफ०डी०आर० के माध्यम से अनुबंध पत्र सहित सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण, देहरादून की उपस्थिति में जमा किया जायेगा।

19) टैण्डर सह नीलामी पूर्ण होने पर निविदा/उच्चतम बोली वाले ठेकेदार को प्रथम तिमाही के रूप में देय नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी स्थल पर तत्काल ही जमा करनी होगी एवं शेष 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान समान किश्तों में सम्बन्धित वर्ष के माह सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च के अन्त में अनिवार्यतः करना होगा। द्वितीय वर्ष के लिए ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि तथा तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत तथा चतुर्थ वर्ष के लिए तृतीय वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि तथा पंचम वर्ष के लिए चतुर्थ वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की धनराशि की वृद्वि ठेकेदार द्वारा देय होगी। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में निर्धारित समय सारणी के अनुसार ठेकेदार को देय वार्षिक धनराशि की एक चौथाई (1/4) धनराशि 30 जून तक, एक चौथाई धनराशि 30 सितम्बर तक, तथा एक चौथाई धनराशि 31 दिसम्बर तक जमा करते हुए शेष धनराशि 31 मार्च तक अनिवार्यतः जमा करनी होगी।

20) निविदा स्वीकृति से पूर्व ठेके की एक वर्ष की धनराशि के बराबर धनराशि निविदादाता ठेकेदार द्वारा बैंक गारण्टी के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें जमा किया जायेगा और अगले वर्ष शिकारमाही की अनुमति बैंक गारण्टी की उक्त धनराशि के जमा करने के उपरान्त ही दी जायेगी और यदि ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वर्ष ठेके की निर्धारित किश्तों का भुगतान निर्धारित समय सारणी में किया जाता है तो उक्त बैंक गारण्टी की धनराशि को आगामी वर्ष हेतु समायोजित किया जायेगा और इस प्रकार समायोजित बैंक गारण्टी की धनराशि के अतिरिक्त आगामी वर्ष में ठेकेदार द्वारा मात्र आगामी वर्ष की निविदा के मूल्य में 10 प्रतिशत की देय वृद्वि के बराबर की धनराशि की बैंक गारण्टी उक्तानुसार जमा की जानी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण वर्ष की धनराशि एक साथ Advance में जमा कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार को बैंक गारन्टी से छूट प्रदान की जा सकती है।

21) यदि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किश्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि अर्थात दिनांक 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च को निर्धारित किश्त जमा नहीं की जाती है तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से उक्त लम्बित किश्त का समायोजन किश्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से अगले दिन और यदि अगला दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसके ठीक दूसरे दिन, प्रत्येक दशा में किया जायेगा। यह दायित्व सम्बन्धित जलाशय प्रभारी, अधिशासी प्रबन्धक व उनके नियंत्रक अधिकारी यथा सहायक निदेशक एवं उप निदेशक, मत्स्य का होगा।

क्रमशः—.....6

22) **ठेकेदार/समिति को अनुबंध के अनुसार पूरे पांच वर्षों तक ठेका चलाना होगा। ठेके की अवधि समाप्त होने के छः माह उपरान्त धरोहर धनराशि वापस की जायेगी। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा अनुबन्ध के अनुरूप 05 वर्ष से पूर्व ठेका छोड़ दिया जाता है तो अभिकरण को हुयी वित्तीय हानि के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और ठेकेदार के विरूद्ध अवशेष धनराशि का समायोजन उसकी बैंक गारण्टी से किया जाएगा।**

23) मध्यावधि में ठेका छोड़ने के समय ठेकेदार पर देय समस्त धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित कर लिया जायेगा। बैंक गांरटी से धनराशि समायोजन के उपरान्त भी यदि ठेकेदार पर कोई भी धनराशि बकाया रह जाती है तो उक्त धनराशि को भू–राजस्व के समान वसूली का अधिकार प्रशासनिक विभाग को होगा।

24) सम्बन्धित ठेकेदार समिति/सरकार द्वारा नियत मानकानुसार ही एक सप्ताह/एक माह में मछलियों का शिकार कर सकेगा।

25) जलाशय का निस्तारण जिस ठेकेदार के पक्ष में होगा, उसे अभिकरण/विभाग की हैचरियों से वर्तमान एवं ठेके की अवधि अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में निर्धारित मानकों के अनुसार मत्स्य बीज संचित कराया जाना होगा। ठेकेदार द्वारा विभाग के अधिकारी के समक्ष मत्स्य बीज का संचय किया जायेगा। सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मत्स्य बीज का मूल्य तथा यातायात व्यय प्रतिवर्ष किश्तों के साथ जमा किया जायेगा।

26) भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में किसी भी दशा में ठेकेदार द्वारा जलाशय में फिंगरलिंग से छोटा मत्स्य बीज संरक्षित नहीं किया जायेगा।

27) वित्तीय वर्ष 2017–18 में निविदा खुलने/ठेका स्वीकृत होने से पूर्व ही अभिकरण कार्यालय द्वारा जलाशय में मत्स्य बीज/फिंगरलिंग संचय किये जाने की स्थिति में ठेकेदार को नियमानुसार मत्स्य बीज संचय धनराशि अनिवार्य रूप से जमा की जानी होगी।

28) जलाशय में फिंगरलिंग संचय हेतु निजी क्षेत्र में निर्मित रियरिंग यूनिटों से अभिकरण द्वारा रियरिंग यूनिटों का चिन्हीकरण किये जाने की स्थिति में ठेकेदार सम्बन्धित चिन्हित रियरिंग यूनिट से निर्धारित मूल्य पर फिंगरलिंग क्रय कर संचय किये जाने हेतु बाध्य होगा।

29) प्रत्येक वर्ष में माह सितम्बर से माह जून तक ही शिकारमाही की जा सकेगी तथा माह जुलाई एवं अगस्त में शिकारमाही पर पूर्ण रूपेण प्रतिबन्ध रहेगा।

30) संविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् धरोहर धनराशि वापस की जायेगी। यदि संविदा अवधि में ठेकेदार द्वारा जलाशयों की सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचाई जाती है अथवा इस अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति/कटौती धरोहर धनराशि से की जायेगी। यदि जलाशयों की सम्पत्ति को पहुंचाई गई हानि की धनराशि धरोहर धनराशि से कटौती के उपरान्त भी अवशेष रहती है तो उसे ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित किया जायेगा।

क्रमशः–.....7

31) ठेकेदार द्वारा शिकारमाही हेतु केवल निर्धारित मानक के जालों का ही उपयोग किया जायेगा, जिससे कि एक कि०ग्रा० भार से कम की सिल्वर कार्प, भारतीय मेजर कार्प, ग्रास कार्प/कार्प महाशीर की मछलियों को कोई क्षति न हो।

32) जलाशयों में शिकारमाही 01 जुलाई से 31 अगस्त तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी, इसके उल्लंघन करने पर शिकारमाही की गयी मछली का मूल्य व आर्थिक दण्ड के रूप में ₹ 100/– प्रति किलोग्राम सहित सम्बन्धित ठेकेदार से तत्काल वसूल किया जायेगा। यदि इनकी मात्रा 50 किलोग्राम से अधिक होगी तो अनुबन्ध निरस्त किये जाने पर भी सचिव, अभिकरण द्वारा विचार किया जायेगा।

33) शासन/अभिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शर्तों/प्रतिबंधों के उल्लघंन की दशा में संविदा समाप्त मानते हुए शिकारमाही तत्काल बन्द कर दी जायेगी और उक्त अवधि की ठेके की धनराशि की किश्त यदि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान ठेकेदार द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा बैंक गारण्टी में से समायोजित कर लिया जायेगा।

34) जलाशय पर रखी गई किसी अन्य स्थान की मछली भी उसी जलाशय विशेष की मछली समझी जायेगी।

35) शासन/विभाग/अभिकरण के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी ठेकेदार द्वारा शिकारमाही मछली की जांच जलाशय के किनारे उसके गोदाम या रास्ते में कर सकते हैं। संदेह एंव असंतोषजनक स्थिति में मछली तत्काल जब्त की जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जा सकेगी। जलाशयों में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित ठेकेदार पर ₹ 25,000/– तक की धनराशि का जुर्माना एक समय में किया जा सकता है।

36) ठेकेदार द्वारा ठेके की अवधि में जलाशय व उसके आस–पास के वातावरण को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी तथा मछलियों के अतिरिक्त अन्य जलजीवों को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

37) विभाग द्वारा प्रायोगिक शिकारमाही करने में ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

38) ठेकेदार यदि किसी कारणवश शिकारमाही बन्द करता है तो उसकी सूचना जलाशय पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी को तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

39) ठेकेदार द्वारा मजदूरी पर रखे गये शिकारियों को आज्ञा पत्र निर्गत करने, निरीक्षण करने तथा निरस्त करने का अधिकार जलाशय पर पदस्थ विभाग के अधिकारी/कर्मचारी का होगा।

40) ठेकेदार को प्रतिदिन शिकारमाही की गई मछली निर्धारित स्थान पर विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के समक्ष निर्धारित समय पर तौलनी होगी और तौली गयी मछली हेतु चालान की प्रति पर ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि को भी प्रतिदिन हस्ताक्षर करने होंगे।

क्रमशः–.....8

41) सिंचाई विभाग व वन विभाग की सड़कों का उपयोग करने के लिए सम्बन्धित विभागों से अनुमति स्वयं ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जायेगी।

42) शिकारमाही जलाशय के सभी स्तरों पर करनी होगी, पानी का स्तर घटाने या बढाने की कोई भी प्रार्थना मत्स्य विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। जलाशयों में उपलब्ध जलीय वनस्पति की स्थिति के प्रति भी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

43) मत्स्य उत्पादन हेतु विभाग द्वारा शीत–संरक्षण, पोस्ट हार्वेस्टिंग/केज कल्चर व अन्य वैज्ञानिक विधियों से मत्स्य उत्पादन, संरक्षण कैनिंग इत्यादि अवस्थापनाएं स्थापित करने हेतु ठेकेदार को पूर्ण सहयोग करना होगा तथा इस हेतु यदि अभिकरण/विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया जाता है तो ठेकेदार को उसका भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

44) ठेकेदार और उसके प्रतिनिधि विभागों की किसी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचायेंगे तथा इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के आदेश स्वीकार्य होंगे।

45) जलाशय में मत्स्य आखेट हेतु उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली, 2013 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा, जो कि नियमावली में दिये गये प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

46) ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में मामला शासन द्वारा नियुक्त मध्यस्थ जो कि अपर सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी होगा, को संदर्भित किया जायेगा, मध्यस्थ की नियुक्ति शासन द्वारा आर्बीटेशन एण्ड कन्सीलिएशन एक्ट, 1996 के प्राविधानों के तहत की जायेगी।

47) **उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त टिहरी जलाशय की प्रबन्ध व्यवस्था अन्तर्गत निम्न शर्तें भी अनुबंध का अंग मानी जायेगी –**

(i) सफल निविदादाता/ठेकेदार को अभिकरण कार्यालय से शिकारमाही आदेश प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत टिहरी से लाईसेन्स (मत्स्य शिकारमाही अनुमति) प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तद्पोरान्त ही जलाशय में मत्स्य शिकारमाही की जा सकेगी।

(ii) टिहरी जलाशय के प्रतिबन्धित एवं जनसहभागिता से स्वरोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चिन्हित भाग को छोड़कर जलाशय के शेष भाग में नीलामी से मत्स्य आखेट का कार्य किया जायेगा।

(iii) स्वरोजगार को प्रोत्साहित किये जाने के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर पंजीकृत सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल आदि को टिहरी जलाशय में मिलने वाली जलधाराओं में एंग्लिंग द्वारा मत्स्य आखेट हेतु ठेका नीलामी/निविदा/बोली के आधार पर आंवटित किया जाना है। अतः टिहरी जलाशय के उक्त क्षेत्रफल में शिकारमाही प्रतिबन्धित रहेगी। सफल निविदादाता/ठेकेदार टिहरी जलाशय के

क्रमशः—.....9

प्रतिबन्धित क्षेत्र के साथ–साथ जनसहभागिता से स्वरोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु चिन्हित भाग को छोड़कर जलाशय के शेष भाग में ही नीलामी से मत्स्य आखेट का कार्य कर सकेगा। (जलधारायें– टिहरी जलाशय अन्तर्गत भागीरथी घाटी में मिलने वाली 07 जलधारायें यथा कोटी गाड़ (मनियार नाला), रतनों गाड़, स्यॉसू गाड़, कोटड़ी गाड़, नगुण गाड़, मणी गाड़, जलकुर तथा टिहरी जलाशय अन्तर्गत भिलंगना घाटी में मिलने वाली 04 जलधारायें यथा सान्दणा गाड़, सिल्युली गाड़, सुनहरी/घोण्टी गाड़ एवं बाल गंगा में भी मत्स्य शिकारमाही पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगी।)

(iv) टिहरी जलाशय के प्रतिबन्धित क्षेत्र में ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारी द्वारा प्रवेश अथवा मत्स्य आखेट करने पर ठेकेदार का लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

48) अभिकरण की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे जलाशय जिनमें केज स्थापित हैं, के सन्दर्भ में उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तें भी अनुबंध का अंग मानी जायेगीः–

(i) जलाशय में स्थापित केज, फ्लोटिंग हट, सोलर एयेटर एवं एफ०आर०पी० मोटर बोट की देख–रेख ठेकेदार को की जानी होगी। ठेकेदार इस हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

(ii) जलाशयों में स्थापित केजों में मत्स्य शिकारमाही का ठेका जलाशय में मत्स्य शिकारमाही ठेके के साथ ही किया जायेगा।

(iii) निविदा के माध्यम से केजों में मत्स्य शिकारमाही कार्यों हेतु आरक्षित धनराशि ₹ 37,500/– प्रति केज की दर से जलाशय में स्थापित कुल केजों हेतु गणित धनराशि के रूप में निर्धारित की जायेगी, जो केजों के वार्षिक किराये के रूप में मानी जायेगी।

(iv) ठेकेदार को निर्धारित दरों अन्तर्गत मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार विभागीय हैचरियों/फीड मिल से ही प्राप्त किया जाना होगा। केज कल्चर में पंगेसियस मछली पालन का कार्य सर्वोत्तम उचित है, के दृष्टिगत केजों में पंगेसियस मत्स्य पालन का ही कार्य किया जाना निर्धारित है। किसी स्थिति में पंगेसियस मत्स्य बीज उपलब्ध न होने पर उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यालय से सहमति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही ठेकेदार द्वारा केज में अन्य प्रजाति की मछली का संचय किया जा सकेगा।

(v) केज कल्चर अन्तर्गत निर्धारित मात्रा में निर्धारित साईज का मत्स्य बीज संचय एवं मत्स्य आहार का प्रयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, इस हेतु अभिकरण द्वारा निर्धारित किया गया मत्स्य बीज एवं मत्स्य आहार क्रय किये जाने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

(vi) यदि अभिकरण में मत्स्य बीज/मत्स्य आहार उपलब्ध नहीं है अथवा अभिकरण अन्य स्रोतों से मत्स्य बीज/मत्स्य आहार की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसके उपरान्त सचिव अभिकरण/सम्बन्धित सहायक निदेशक, मत्स्य से इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही ठेकेदार किसी अन्य स्रोत से मत्स्य बीज/मत्स्य आहार की आपूर्ति कर सकेगा।

क्रमशः–.....10

(vii) विभाग/अभिकरण यदि सम्बन्धित जलाशय में अतिरिक्त केज स्थापित करता है तो अनुज्ञप्तिधारी को सम्बन्धित केजों एवं सम्बन्धित सामग्रियों हेतु पृथक से अनुबंध पत्र निष्पादित किया जाना होगा एवं अनुबंध के समय ठेकेदार को ₹ 37,500/– प्रति केज की दर से कुल केजों हेतु गणित धनराशि एफ०डी०आर० के रूप में अनुबंध से पूर्व जमा की जानी होगी। (एफ०डी०आर० की गणना → 01 केज की आरक्षित धनराशि = ₹ 37,500/– के समतुल्य)

(viii) जलाशय में स्थापित होने वाले अतिरिक्त केजों हेतु धनराशि ₹ 37,500/– प्रति केज की दर से कुल केजों के सापेक्ष देय धनराशि ठेकेदार को जमा की जानी होगी, जिसे ठेकेदार द्वारा जलाशय में मत्स्य शिकारमाही ठेके की देय चार किश्तों के साथ निर्धारित समय–सारणी अर्थात 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर एवं 31 मार्च में जमा किया जाना होगा। इस प्रकार ठेकेदार को प्रत्येक किश्त में ₹ 9,375/– प्रति केज की दर से कुल केजों हेतु गणित धनराशि जमा की जानी होगी।

(ix) जलाशय में मत्स्य शिकारमाही कार्यों की अनुबंध अवधि सफल रूप से समाप्त होने पर जलाशय के ठेके एवं केज हेतु जमा एफ०डी०आर० को अवमुक्त किया जायेगा। यदि ठेकेदार पर किसी भी स्तर पर कोई धनराशि अवशेष रहती है अथवा स्थापित केजों में कोई टूट–फूट होती है तो उक्त एफ०डी०आर० से धनराशि समायोजित कर ली जायेगी।

(x) जलाशय में स्थापित केज एवं सम्बन्धित अन्य सामग्रियां यथा फ्लोटिगं हट, एफ०आर०पी० बोट, सोलर एरेटर आदि को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचने पर ठेकेदार से क्षति के दृष्टिकोण से धनराशि वसूली जायेगी। क्षति का आंकलन उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण/मत्स्य विभाग द्वारा इस हेतु गठित समिति के माध्यम से निर्धारित कराया जायेगा, जो अन्तिम होगा।

(xi) यदि ठेकेदार जलाशय में स्थापित केजों का बीमा कराना चाहते हैं, तो वे अपने स्तर से बीमा कराये जाने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस हेतु विभाग/अभिकरण द्वारा कोई वित्तीय सहयोग उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

(xii) जलाशय में स्थापित केज मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की बौद्धिक सम्पदा है, जिस पर पूर्ण अधिकार मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण का होगा एवं केज, हट, मोटर बोट आदि के सम्बन्ध में ठेकेदार को मत्स्य विभाग/उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की सभी शर्तें मान्य होंगी।

49) उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तें अनुबन्ध का अंग समझी जायेंगी।

2– उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधीनस्थ जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था/नीलामी से सम्बन्धित समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

क्रमशः–.....11

3— उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अधीनस्थ जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था निर्धारण के सम्बन्ध पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या—530/XV-2/6(20)/2004, दिनांक 09.08.2012, संशोधित शासनादेश संख्या—286/XV-3/2017-06(04)/2004, दिनांक 17.07.2017, शासनादेश संख्या—344/XV-3/2017-06(04)/2004, दिनांक 03.08.2017 तथा टिहरी जलाशय की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्गत शासनादेश संख्या—103/XV-3/2015-10(01)/2013, दिनांक 17.10.2015 के द्वारा जलाशयों हेतु निर्धारित आरक्षित मूल्य की धनराशि एवं अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे तथा उक्त शासनादेशों द्वारा निर्धारित अनुबन्ध की समस्त शर्तें इस सीमा तक संशोधित समझी जायेंगी।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या— 74। (1)/XV-3/2017-06(04)/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, मत्स्य, उत्तराखण्ड सरकार को मा० राज्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
9. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. प्रबन्ध निदेशक, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि० (THDC)।
12. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
14. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी०एम० मिश्र)
अपर सचिव।